

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

(दीपा कटारे)
न्याय निर्णायक अधिकारी
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर

प्रकरण क्रमांक : 33/2020

प्रकरण दर्ज दिनांक

आवेदक : कु. सुदीप तिवारी & सु. वात्सल्य शर्मा Exe-m-PRD-2020-01073

13.07.2021

प्रकरण आज वी.सी. के माध्यम से सुनवाई में लिया गया।

आवेदक द्वारा श्री सुदीप तिवारी अधिवक्ता।
अनावेदक की ओर से कोई नहीं।

प्रकरण आज आर.आर.सी. जारी किये जाने हेतु नियत है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से दर्शित है कि माननीय प्राधिकरण द्वारा दिनांक 16.10.2020 को आदेश पारित कर अनावेदक को Rs. 9,11,550/- (नौ लाख ग्यारह हजार पांच सौ पचास रुपये मात्र) दो माह के भीतर, आवेदक को, भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन हेतु यह निष्पादन प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। नोटिस तामिली पश्चात् अनावेदक अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होते रहे हैं किन्तु दिनांक 10.06.2021 से अनावेदक अनुपस्थित हैं और उन्होंने आवेदक को आदेशित राशि का भुगतान भी नहीं किया है। ऐसी दशा में आदेशित राशि की वसूली हेतु धारा- 40(1) छ.ग. भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016, एवं अंतर्गत नियम 25 छ.ग. भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम 2017, के तहत आर.आर.सी. जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

प्रकरण क्रमांक : 33/2020

प्रकरण दर्ज दिनांक

आवेदक डॉ. सुनील पांडे vs वात्सल्य बिजनेस Exe.m-pro-2020-01073

अतः 9,11,550/- (नौ लाख ग्यारह हजार पांच सौ पचास रुपये मात्र) की वसूली हेतु आर.आर.सी. कलेक्टर महोदय को इस टीप के साथ जारी की जावे कि वे वसूल की गई उपरोक्त राशि को प्राधिकरण में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। आर.आर.सी. तामिली हेतु रजिस्ट्रार महोदया को प्रेषित की जावे।

प्रकरण की कार्यवाही समाप्त। प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया जावे।

(दीपा कटारे)
न्याय निर्णायक अधिकारी
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर

(दीपा कटारे)
न्याय निर्णायक अधिकारी
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर